

प्रेषक,

कल्लू प्रसाद द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 22 जुलाई, 2024

विषय:- निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम (शिक्षण सत्र 2024-25) के लिए शुल्क का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर-6(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या- 1561/सोलह-1-2008-5(डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या- 2463/2008-सोलह-ए-5(डब्ल्यू-48) /2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 10.07.2024 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी।

2- समिति की उक्त बैठक, पूर्व निर्गत शासनादेशों एवं राज्य विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आख्या पर सम्यक विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पूर्व की भांति प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु बी0एड0 प्रथम वर्ष हेतु शुल्क रू0 51,250/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु शुल्क रू0 30,000/- निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

1
(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
- 6- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।